न्यायालय उपखण्ड अधिकारी(एस.डी.ओ.)सिणधरी

पीठासीन अधिकारी–श्री प्रमोद कुमार, आर.ए.एस

राजस्व आवेदन संख्या 18/2023

प्रार्थी **बनाम** विप्रार्थीगण

प्रार्थी:

1. भंवरराम पुत्र अमरराम जाति ढाढी निवासी धन्ने की ढाणी तहसील सिणधरी जिला बालोतरा।

विप्रार्थीगण:

1. अचलाराम पुत्र खेताराम जाति जाट
2. उमाराम पुत्र खींयाराम जाति जाट
3. किरताराम पुत्र हरखाराम जाति जाट
4. गेरोदेवी पत्नी नेनाराम जाति जाट
5. गवरी पत्नी खेताराम जाति जाट
6. जेती पुत्री हरखाराम जाति जाट
7. दुर्गाराम पुत्र भैराराम जाति जाट
8. पदमाराम पुत्र राजूराम जाति जाट
9. पूनमाराम पुत्र खींयाराम जाति जाट
10. पारू पत्नी हरखाराम जाति जाट
11. भंवरराम पुत्र हरखाराम जाति जाट
12. मगी पुत्री उदाराम जाति जाट
13. मानाराम पुत्र हरखाराम जाति जाट
14. मीरो पत्नी खींयाराम जाति जाट
15. रम्भा पुत्री उदाराम जाति जाट
16. सोनाराम पुत्र राजूराम जाति जाट
17. हीराराम पुत्र खेताराम जाति जाट
18. दुर्गाराम पुत्र गोमाराम जाति जाट
19. कंवराराम पुत्र गोपाराम जाति सुथार
20. खेताराम पुत्र जालाराम जाति सुथार
21. [illegible] पुत्र प्रहलादराम जाति सुथार
22. चुनी पत्नी रूघाराम [illegible] सुथार
23. [illegible] पुत्र प्रहलाद[illegible] जाति सुथार
24. भैराराम पुत्र प्रहलादराम जाति सुथार
25. वेहनाराम पुत्र चिमनाराम जाति सुथार
26. नारणाराम पुत्र चिमनाराम जाति सुथार
27. सुआदेवी पत्नी चिमनाराम जाति सुथार
28. लच्छाराम पुत्र जालाराम जाति सुथार

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kum
Date: 2024.03.10 14:22:35 IST
Reason: SelfAttested

29. बाबूराम पुत्र शेराराम जाति सुथार

30. लासीदेवी पत्नी शेराराम जाति सुथार

31. पदमाराम पुत्र ठाकराराम जाति सुथार

32. भंवराराम पुत्र मालाराम जाति सुथार

33. सोनाराम पुत्र रूघाराम जाति सुथार

34. मूलाराम पुत्र रूघाराम जाति सुथार

35. पुखराज पुत्र चिमनाराम जाति सुथार

36. फरसाराम पुत्र चिमनाराम जाति सुथार

37. तारोदेवी पुत्री गोपाराम जाति सुथार

38. पारूदेवी पत्नी गोपाराम जाति सुथार

39. सारोदेवी पुत्री गोपाराम जाति सुथार

40. जूंजाराम पुत्र मालाराम जाति सुथार

41. किशनाराम पुत्र श्रीराम जाति सुथार

42. गोरधनराम पुत्र श्रीराम जाति सुथार

43. चुतराराम पुत्र श्रीराम जाति सुथार

44. पूनमाराम पुत्र श्रीराम जाति सुथार

45. पेमाराम पुत्र श्रीराम जाति सुथार

46. गोरधनराम दत्तक पुत्र दीपाराम जाति सुथार

47. चूनाराम पुत्र खेताराम जाति सुथार

48. फुआराम पुत्र नेनाराम जाति ढाढी

49. ओमाराम पुत्र नेनाराम जाति ढाढी सभी निवासीयान सारणो का तला, होडू तहसील सिणधरी जिला बाडमेर (राज.)

50. झबुदेवी पत्नी खुमाराम जाति ढाढी निवासी आदर्श चवा तहसील व जिला बाडमेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kur
Date: 2024.03.10 14:22:35 IST
Reason: SelfAttested

51. शाखा प्रबंधक, राजस्थान [illegible] ग्रामीण बैंक शाखा होडू

52. शाखा प्रबंधक, भारतीय [illegible] बैंक शाखा सिणधरी

53. राजस्थान सरकार भूमिधारक जरिये तहसीलदार सिणधरी ।

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 (वास्ते–विवादित भूमि की करने नेखमबन्दी बाबत)

उपस्थिति–

1. श्री अमराराम चौधरी, अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से उपस्थित।

2. विप्रार्थी एकतरफा।

आदेश

दिनांक 07.02.2024

1. संक्षेप में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि प्रार्थीगण का खेत मौजा सारणो का तला, पटवार क्षेत्र होडू, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र होडू तहसील सिणधरी जिला बालोतरा के खेत खसरा नंबर **898** रकबा **8.5916** हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम खातेदारी का अवस्थित है। प्रार्थीगण के उपरोक्त खेत विप्रार्थीगण के खेतों के सेढा सेढ आई हुई है। खेतों के बीच किसी प्रकार कि कोई पक्की माठे या सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा एवं विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थीगण द्वारा खेत मौजा सारणो का तला, पटवार क्षेत्र होडू, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र होडू तहसील सिणधरी जिला बालोतरा के खेत खसरा नंबर 898 रकबा 8.5916 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम भूमि की पक्की नेखमबंदी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया गया है।

2. प्रार्थी का आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिये रजिस्ट्रर्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। विप्रार्थीगण को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी हाजिर नहीं होने पर उनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

3. वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने आवेदन के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया, कि प्रार्थी के खेत मौजा सारणो का तला, पटवार क्षेत्र होडू, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र होडू तहसील सिणधरी जिला बालोतरा के खेत खसरा नंबर 898 रकबा 8.5916 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम भूमि आई हुई है। प्रार्थीगण के उपरोक्त खेत [illegible] आई हुई है। खेतों के बीच किसी प्रकार कि कोई पक्की माठे या सीमा चिन्ह [illegible] होने [illegible] दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा एवं विवाद बना रहता है। इस [illegible] द्वारा मौजा सारणो का तला, पटवार क्षेत्र होडू, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र होडू तह[illegible] सिणधरी जिला बालोतरा के खेत खसरा नंबर 898 रकबा 8.5916 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम भूमि की पक्की नेखमबंदी के आदेश फरमावे जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kuma
Date: 2024.03.10 14:22:35 IST
Reason: SelfAttested

4.हमनें वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड व संलग्न दस्तावेजात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। तथ्यो का विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन

उपखण्ड अधिकारी

किया गया। जिसमें पाया मौजा सारणो का तला, पटवार क्षेत्र होडू, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र होडू तहसील सिणधरी जिला बालोतरा के खेत खसरा नंबर 898 रकबा 8.5916 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम भूमि प्रार्थी की खातेदारी में दर्ज है,जो पत्रावली के संलग्न विवादित भूमि की जमाबंदी मय नक्शा खतौनी संवत 2076–2079 का अवलोकन करने से स्पष्ट है,इस प्रकार प्रार्थी विवादित भूमि का रिकार्डड खातेदार है,और रिकार्डड खातेदार अपनी भूमि की पक्की नेखमबंदी करवानें के लिए स्वतंत्र है,जिसका प्रार्थी हकदार भी है एवं विप्रार्थीगण बावजूद रजिस्ट्रर्ड नोटिस तामीली के हाजिर नहीं हुए है,इससे प्रतीत होता है कि प्रार्थी के आवेदन को स्वीकार करने की उनकी ओर से मौन स्वीकृति है। यदि कोई आपत्ति होती,तो न्यायालय में उपस्थित होकर उजर एतराज पेश करतें। लेकिन ऐसा विप्रार्थीगण की ओर से नहीं किया गया। ऐसी सूरत में प्रार्थी का आवेदन स्वीकार योग्य है।

5. लिहाजा,प्रार्थी का आवेदन पत्र स्वीकार किया कि मौजा सारणो का तला, पटवार क्षेत्र होडू, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र होडू तहसील सिणधरी जिला बालोतरा के खेत खसरा नंबर 898 रकबा 8.5916 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार सिणधरी को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है,उक्त कार्यवाही प्रार्थी व विप्रार्थीगण को पूर्व में जरिये नोटिस/पत्र के जरिये सुचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर की जावे। कमिशनर फीस 1000/प्रार्थी मौके पर अदा करेगा। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल मिसल हो।

उपखण्ड अधिकारी,सिणधरी

आदेश आज दिनांक 07.02.2024 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी,सिणधरी

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.03.10 14:22:35 IST
Reason: SelfAttested